समाचार-प्रकाशनार्थ:-

निगम ने कये चार कालोनाईजरों को सूचना पत्र जारी

रतलाम 05 अगस्त । भू म पर वकास अनुमति समाप्त होनेए समयाव ध में वकास कार्य पूर्ण नहीं होनेए आश्रय नि ध की रा श जमा नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने चार कालोनाईजरों को सूचना पत्र जारी कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेसर्स रचना हाऊ संग रतलाम द्वारा भागीदारए श्री अनिल कुमार पता कृष्ण कुमार झालानी निवासी 101ए देवप्रस्थ अपार्टमेंटए पावर हाउस रोडए रतलाम एवं भागीदार श्री प्रवीण सेलवा डया पता मोहनलाल जी सेलवा डया निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)ए मेसर्स सम्यक लेडमार्क प्राईवेट ल मटेड द्वारा भागीदार श्री अनिल कुमार पता कृष्ण कुमार झालानी निवासी 101ए देवप्रस्थ अपार्टमेंटए पावर हाउस रोडए रतलाम एवं भागीदार श्री प्रवीण सेलवा डया पता मोहनलाल जी सेलवा डया निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)ए श्री अभय पता श्री राजमल कोठारी (भू म स्वामी) निवासी उर्वशी अपार्टमेंटए आबकारी रोडए रतलाम (म.प्र.) व श्री रमेशचन्द्र जैन (भू म स्वामी) निवासी जैन कॉलोनीए रतलाम (म.प्र.) को कस्बा रतलाम में स्थित भू म सर्वे क्रमांक 172द्द2ए 172द्द8ए 173ए 174ए 175द्द1ए 175द्द7ए 176द्द2ए 176द्द3ए 176द्द4ए 176द्द5ए 180द्द2 पैकीए 180द्द3ए 180द्द6ए 180द्द10 पैकीए 249द्द2ए 251द्द1ए 251द्द2ए 251द्द3 एवं 251द्द4 कुल कता 19 कुल रकबा 15ण्755 हेक्टेयर भू म मे से 13ण्525 हेक्टेयर भू म पर दी गई कॉलोनी वकास अनुमति पत्र क्रमांक 2761द्द4द्धकॉलोनी प्रकोष्ठ⁄2013 रतलामए दिनांक 06द्द12द्द2013 के संबंध में सूचना पत्र जारी कया।

उक्त भू म पर कॉलोनी वकास अनुमति प्रदान की गई थी कालोनाईजरो द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश वभाग रतलाम से स्वीकृत कराये गये अ भन्यास समाप्त हो जाने तथा नगर निगम रतलाम द्वारा दी गई कॉलोनी वकास अनुमति हो जाने तथा नियत समयाव ध में वकास कार्य पूर्ण नही कये जाकर वकास कार्यपूर्णता का प्रमाण-पत्र नगर पा लक निगम रतलाम से प्राप्त नही कये जाने तथा वकास कार्य पूर्ण

नहीं कये गये एवं आश्रय शुल्क की संपूर्ण रा श जमा नहीं करवाई गई साथ ही वर्तमान में कॉलोनी का वकास कार्य भी बंद होकर अधूरा वकास कार्य हुआ है।

नगर निगम द्वारा कई बार दी गई सूचनाओं के उपरांत भी कालोनाईजरों द्वारा समाधान कारक कार्यवाही नहीं करने के कारण बंधक 84 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 22072ण्23 वर्गमीटर हैए वक्रय कर कॉलोनी के शेष वकास कार्य पूर्ण कराये जाने एवं प्राप्त रा श से कार्य पूर्ण नही होने पर अतिरिक्त रा श की वसूली कये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कये गये।

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण

अतिक्रमण मुक्त कराई गई अर्जून नगर की भू म का समतलीकरण करने के दिये निर्देष

रतलाम 05 अगस्त । शहर में सीवरेज कार्य के तहत हाउस कनेक्शन का शीघ्र पुरा हो इस उद्देश्य से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदारए पीडीएमसी व ठेकेदार के इंजीनियरों के साथ नगर के व भन्न क्षेत्रों में कये गये व कये जाने वाले हाउस कनेक्शन कार्य का निरीक्षण कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने अर्जून नगर में फ्रन्ट लाईन में कये गये हाउस कनेक्शन कार्य का निरीक्षण कर शेष रहे 2.3 हाउस कनेक्शन शीघ्र करने के निर्देश ठेकेदार के इंजीनियरों को दिये।

बैकलेन में हाउन कनेक्शन में आ रही समस्या के निदान हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने राजीव नगर व इन्द्रलोक नगर का निरीक्षण कर नागरिकों आश्वस्त कया क आ रही समस्या का शीघ्र निदान कया जायेगा समस्या के निदान हेतु ठेकेदार के इंजीनियरों को निर्दे शत कया।

वनोबा नगर के 500 हाउस कनेक्शन उपरान्त मुक्तिधाम के समीप नाले में सीवरेज लाईन के छोड़े गये पाईप से आ रहे पानी के बहाव को

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा अवलोकन करने पर पाया क पानी का बहाव सफलतापूर्वक नाले में आ रहा है।

अर्जून नगर में नगर निगम वकास शाखा की स्वीकृत योजना की भू म जिसे नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया था निगम आयुक्त श्री झारिया ने भू म का निरीक्षण करने पर पाया क कतिपय लोगो द्वारा भू म पर खेती की गई है इस पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबं धत को भू म का समतलीकरण करने के निर्देश दिये।

ज्ञातव्य है क दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम वकास शाखा की भू म पर कये गये अतिक्रमण को हटाकर भू म को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन मे की गई थी। उक्त भू म 1982 में नगर निगम वकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है जिस पर कये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लया गया था।

नगर के व भन्न क्षेत्रों में फा गंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव

रतलाम 05 अगस्त । वधायम रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगू व मलेरिया से बचाने के लये नगर निगम व मलेरिया वभाग की संयुक्त टीम द्वारा 2 फा गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रारंभ कर दिया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में नगर निगम स्वास्थ्य वभाग अमले व मलेरिया वभाग की संयुक्त टीम द्वारा पुराना कलेक्टोरेट ऑ फसर्स कालोनीए पांजरा पोलए मोचीपुराए पीएनटी कालोनीए सहित नगर के व भन्न क्षेत्रों में फा गंग मशीन से कीटनाशक दवा का छिड़काव कया गया। कीटनाशक दवा छिड़काव संपूर्ण शहर में अनवरत् जारी रहेगा।

नगर निगम व मलेरिया वभाग द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क वे मच्छर जनित डेंगूए मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपासए गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी निय मत रूप से बदलेए पानी की टं कयां े को खुला ना छोड़ेंए खुले

मटकेए ड्रमए टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहांए नाले-ना लयों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

स्वास्थ्य अ धकारीए झोन प्रभारी व दरोगा का एक दिन का वेतन काटा

रतलाम 05 अगस्त । सैलाना रोड क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान डवाईडर पर मवेशी (सांड) बैठा पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री वनय चौहान व संबं धत क्षेत्र के वार्ड दरोगा का एक दिवस का वेतन काटा गया।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

5 अगस्त को 96 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 05 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 05 अगस्त गुरूवार को 96 टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

05 अगस्त गुरूवार को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 51215ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 27130ए काम्पेक्टर गीला कचरा 6855ए मैजिक 11535 कलो इस तरह कुल 96735 कलो कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

आज 10 उ चत मूल्य की दुकानों पर बनेगें आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 6182 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 05 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’

योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं। 06 अगस्त शुक्रवार से कम र्शयल प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान गणेश प्राथ मक उपभोक्ता भंडार बिरयाखेड़ीए जूनियर प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान नवदुर्गा प्राथ मक उपभोक्ता भंडार आनंद कॉलोनीए सीनियर प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान अंबिका प्राथ मक उपभोक्ता भंडार थावरिया बाजारए गंगोत्री महिला प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान दुर्गा महिला प्राथ मक उपभोक्ता भंडार जाटों का वासए चेतना प्राथ मक उपभोक्ता भंडार रामगढ़ए जनता प्राथ मक उपभोक्ता भंडार सुभाष नगर 98 हाट की चौकीए फ्रेंड्स प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान केशव प्राथ मक उपभोक्ता भंडारए भारतीय प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान महालक्ष्मी प्राथ मक उपभोक्ता भंडार ईदगाह रोडए माधव प्राथ मक उपभोक्ता भंडार शक्तिनगर तथा श्रद्धा प्राथ मक उपभोक्ता भंडार अटैच दुकान पद्मावती प्राथ मक उपभोक्ता भंडार प्रताप नगर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर श वर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 05 जुलाई गुरूवार को 258 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 6182 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 05 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अ भयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

1200 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 05 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 05 अगस्त तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1200 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 05

अगस्त को मड टाउन रोडए महू रोड बस स्टैण्डए सज्जन मल रोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500द्द वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 05 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संब धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 05 अगस्त को 14 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अ धकारीए झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर नेमीचन्द मीणा ग्लोबस सटी पर 1000ए संजू ग्वा लयरीए श्री राम चाट हाउस गीता मंदिर रोड पर 250.250ए र वए अख्तरए सलीमए टीपू फलवालाए मोची सैलाना बस स्टैण्डए संग्राम संहए खलीभाईए शंभू मोचीए शवजी नमकीन राम मंदिरए शवानीए वष्णुलाल अलकापुरी पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931ए श्री करण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री वनय चौहान मो.नं. 8770535145ए श्री वराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 05 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अ धकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा

क्षतिग्रस्त पु लयाओं को चन्हित कर रे डयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं ना लयों के अतिक्रमण चन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले ना लयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मो0नं0 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मो0 नं0 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मो0 नं0 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था सुनिश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रो में छोटे एवं बड़े नाले-

ना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबं धत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-ना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबं धतों को दिये।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 05 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक

पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संब धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संब धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/05ण08ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.